

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

बुधवार, दिनांक 14 जून, 2017 (ज्येष्ठ 24, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 116-केवलारी से निर्वाचित सदस्य, श्री रजनीश सिंह को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, जिला-सिवनी (मध्यप्रदेश) की ओर से माननीय अध्यक्ष, महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 12.06.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 12.06.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

“ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता इस्तगासा क्रमांक 66/251 जा.फौ. की धारा 151/107, 116 (3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री रजनीश सिंह को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री रजनीश सिंह को दिनांक 12.06.2017 को 13.00 बजे बंदी कर लिया गया है और उन्हें उसी दिन 14.00 बजे निर्मुक्त कर दिया गया है. ”

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.